दूसरी अनुसूची

[धारा 113(क) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,--

(1) अध्याय 8 में, उपशीर्ष सं. 0801.11 और 0801.19 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "70%" और "60%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(2) अध्याय 9 में,-

(i) उपशीर्ष सं. 0901.11, 0901.12, 0901.21, 0901.22 और 0901.90 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "70%" और "70% ऋण 13 पैसे प्रति कि.ग्रा." प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 0902.10, 0902.20, 0902.30 और 0902.40 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "70%" और "70% ऋण 26 पैसे प्रति कि.ग्रा." प्रविष्टियां रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 12 में, उपशीर्ष सं. 1203.00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "70%" और "60%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(4) अध्याय 49 में, उपशीर्ष सं. 4906.00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "25%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 50 में, उपशीर्ष सं. 5003.10 और 5003.90 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(6) अध्याय 51 में,--

(i) उपशीर्ष सं. 5111.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 135 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 5111.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं. 5111.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष सं. 5111.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 75 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष सं. 5111.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 90 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष सं. 5112.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष सं. 5112.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 155 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष सं. 5112.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 85 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष सं. 5112.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 110 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष सं. 5112.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 135 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 52 में,--

(i) उपशीर्ष सं. 5202.10, 5202.91 और 5202.99 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) उपशीर्ष सं. 5208.39 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं. 5208.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 37 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष सं. 5208.52 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 23 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष सं. 5208.53 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष सं. 5208.59 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष सं. 5209.31, 5209.32 और 5209.39 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष सं. 5209.41 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 32 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष सं. 5209.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष सं. 5209.43 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष सं. 5209.49 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष सं. 5209.51 और 5209.52 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष सं. 5209.59 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 38 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष सं. 5210.39 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष सं. 5210.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष सं. 5210.51 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) उपशीर्ष सं. 5210.59 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) उपशीर्ष सं. 5211.31, 5211.32 और 5211.39 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) उपशीर्ष सं. 5211.41 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 44 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष सं. 5211.43 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष सं. 5211.49 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) उपशीर्ष सं. 5211.51, 5211.52 और 5211.59 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 18 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 54 में,-

(i) उपशीर्ष सं. 5407.41 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "25% या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 5407.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं. 5407.43 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 67 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष सं. 5407.44 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 58 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष सं. 5407.52 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 38 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष सं. 5407.53 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष सं. 5407.54 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष सं. 5407.61 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "25% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष सं. 5407.69 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष सं. 5407.72 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "25% या 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष सं. 5407.73 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष सं. 5407.74 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 38 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष सं. 5407.82 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 42 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष सं. 5407.83 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 67 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष सं. 5407.84 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 38 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष सं. 5407.92 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 67 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) उपशीर्ष सं. 5407.93 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) उपशीर्ष सं. 5407.94 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 67 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) उपशीर्ष सं. 5408.22 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष सं. 5408.23 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 47 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष सं. 5408.24 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 87 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) उपशीर्ष सं. 5408.31 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) उपशीर्ष सं. 5408.32 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 44 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(9) अध्याय 55 में,--

(i) उपशीर्ष सं. 5512.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 42 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 5512.29 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 47 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं. 5513.23 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 125 रुपए प्रति कि.ग्रा. या 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष सं. 5513.31 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 21 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष सं. 5513.33 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 22 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष सं. 5513.39 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 125 रुपए प्रति कि.ग्रा. या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष सं. 5513.41 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष सं. 5513.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष सं. 5513.43 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष सं. 5514.21 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 100 रुपए प्रति कि.ग्रा. या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष सं. 5514.31 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 64 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष सं. 5514.32 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 43 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष सं. 5514.39 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 31 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष सं. 5514.41 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 26 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष सं. 5514.43 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 31 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष सं. 5515.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) उपशीर्ष सं. 5515.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) उपशीर्ष सं. 5515.21 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 79 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) उपशीर्ष सं. 5515.29 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष सं. 5515.91 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 57 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष सं. 5515.92 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) उपशीर्ष सं. 5515.99 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) उपशीर्ष सं. 5516.12 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) उपशीर्ष सं. 5516.13 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) उपशीर्ष सं. 5516. 22 और 5516.23 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) उपशीर्ष सं. 5516.94 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(10) अध्याय 58 में,--

(i) उपशीर्ष सं. 5801.35 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "25% या 68 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 5802.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(11) अध्याय 61 में,--

(i) उपशीर्ष सं. 6104.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 460 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 6104.62 और 6104.63 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 98 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं. 6105.10 और 6105.20 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 83 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष सं. 6105.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 90 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष सं. 6106.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 90 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष सं. 6107.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 24 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष सं. 6108.21 और 6108.22 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 25 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष सं. 6108.91 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 65 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष सं. 6108.92 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 60 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष सं. 6109.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 45 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष सं. 6109.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 50 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष सं. 6110.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 85 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष सं. 6110.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 110 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष सं. 6110.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 105 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(12) अध्याय 62 में,--

(i) उपशीर्ष सं. 6201.13 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 320 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 6201.92 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 210 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं. 6201.93 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 180 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष सं. 6202.12 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 210 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष सं. 6202.92 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 160 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष सं. 6203.32 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 440 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष सं. 6203.33 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 320 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष सं. 6203.39 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 775 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष सं. 6203.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 135 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष सं. 6203.43 और 6203.49 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 110 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष सं.6204.11 और 6204.13 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 550 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष सं. 6204.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 500 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष सं. 6204.31 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 370 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष सं. 6204.32 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 650 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष सं. 6204.33 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 390 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष सं. 6204.39 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 350 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) उपशीर्ष सं. 6204.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 116 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) उपशीर्ष सं. 6204.62 और 6204.69 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 135 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) उपशीर्ष सं. 6205.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 85 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष सं. 6205.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 120 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष सं. 6205.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 95 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) उपशीर्ष सं. 6206.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 95 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) उपशीर्ष सं. 6206.40 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 120 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) उपशीर्ष सं. 6207.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 28 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) उपशीर्ष सं. 6207.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 30 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) उपशीर्ष सं. 6207.99 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 70 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) उपशीर्ष सं. 6208.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 80 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) उपशीर्ष सं. 6208.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 60 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) उपशीर्ष सं. 6208.91 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 95 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) उपशीर्ष सं. 6208.92 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 65 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) उपशीर्ष सं. 6210.40 और 6210.50 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 65 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) उपशीर्ष सं. 6214.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 390 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(13) अध्याय 63 में, उपशीर्ष सं. 6301.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35% या 275 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(14) अध्याय 70 में,-

(i) उपशीर्ष सं. 7019.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 7019.51 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "25%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(15) अध्याय 84 में,-

(i) उपशीर्ष सं. 8456.91 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 8469.11, 8470.10, 8470.21, 8470.29, 8470.30, 8470.40, 8470.50, 8470.90, 8473.21 और 8473.29 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(16) अध्याय 85 में,-

(i) उपशीर्ष सं. 8517.11, 8517.19, 8517.21, 8517.22, 8517.30, 8517.50, 8517.80, 8520.20, 8523.11, 8523.12, 8523.13, 8523.20, 8523.90, 8524.31, 8524.40, 8524.91, 8525.20, 8531.20, 8532.10, 8532.22, 8532.23, 8532.25, 8532.29 और 8532.30 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 8543.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं. 8543.81 और 8544.70 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(17) अध्याय 87 में,-

(i) उपशीर्ष सं. 8703.10, 8703.21, 8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.31, 8703.32, 8703.33 और 8703.90 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "105%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं. 8711.10, 8711.20, 8711.30, 8711.40, 8711.50 और 8711.90 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "105%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(18) अध्याय 90 में,-

(i) उपशीर्ष सं. 9009.11, 9009.21, 9009.90, 9026.10 और 9030.40 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं.9031.41 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ।